सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / श्रम उप निरीक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	:	
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	:	
परीक्षा तिथि	:	
परीक्षा समय	:	

श्रम विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1–20 / 2019 / 16 दिनांक 06.05.2023 द्वारा श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दी गई सहमति के अनुसार श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत **सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक** एवं **श्रम उप निरीक्षक** तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, नया रायपुर के वेबसाईट **cgvyapam.choice.gov.in** पर आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान निम्नानुसार है :–

सरल क्र	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छ0ग0 के महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में छ0ग0 के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व.	अना.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	सहायक श्रम पदाधिकारी	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (OA,OL,OAL, BL,B,LV,HH)	4	रू. 38100 (9)
2.	श्रम निरीक्षक	6	1	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1 (HH)	14	रू. 28700 (7)
3.	श्रम उप निरीक्षक	6	2	5	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1 (HH)	16	रू. 25300 (6)
	योग	13	4	11	6	2	—	2	—	—	—	—	—	3	34	

श्रमायुक्त
श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

विभागीय नियम एवं शर्ते

(1) (अ) सेवा श्रेणी :– तृतीय श्रेणी ।
(ब) वेतनमान :–

1.	सहायक श्रम पदाधिकारी	वेतन बैण्ड रू. 9300–34800+ ग्रेड पे 4300/– (मेट्रिक्स लेवल–9)
2.	श्रम निरीक्षक	वेतन बैण्ड रू. 5200–20200+ ग्रेड पे 2800/– (मेट्रिक्स लेवल–7)
3.	श्रम उप निरीक्षक	वेतन बैण्ड रू. 5200–20200+ ग्रेड पे 2400/– (मेट्रिक्स लेवल–6)
टीप :– छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते।		

(2) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता –

क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
1.	सहायक श्रम पदाधिकारी	21 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि
2.	श्रम निरीक्षक	21 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि
3.	श्रम उप निरीक्षक	21 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि

(3) **आयु सीमा** – आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 21.06. 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक– 01.01.2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगी।

(4) **प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होगी।**

(5) **चयन परीक्षा की प्रक्रिया –**

(1) इस पद पर चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा एक स्वंतत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। यह परीक्षा राज्य के सभी संभागीय मुख्यालय में दिनांक–.................. पूर्वान्ह .... से .... बजे तक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची से किया जायेगा।

(6) शर्ते –

(1) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(2) 150 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(3) आवेदक का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है अथवा किसी कार्यालय में नियुक्ति है तो संबंधित कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(4) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।

क्रमश......3

श्रमायुक्त
श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी तथा इस अवधि में नये स्वीकृत पदों पर या किसी भी कारण से हुये रिक्त पदों की भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।

(6) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त मेरिट सूची विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार श्रमायुक्त को होगा।

(7) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा। ऊपर उल्लेखित शर्तो के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होंगे।

(9) चयनित उम्मीद्वार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

(10) सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक के पद श्रमायुक्त के अधीन है तथा वे ही नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी है। अतः नियुक्ति आदेश संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही जारी किये जायेंगे। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

(11) चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति **तीन वर्ष** की परिवीक्षा पर ही की जावेगी।

(12) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार परिवीक्षावधि में वेतन देय होगा।

(13) चयन सूची से नियुक्ति छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये यथास्थिति श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा संधारित रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(14) चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही छ0ग0 श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 2014 के अधीन यथा संशोधित एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो/निर्देशों के अनुसार होगी।

(15) उक्त उल्लेखित पद सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक के लिए एक ही मेरिट सूची जारी किया जावेगा। मेरिट के आधार पर सर्वप्रथम सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक के तत्पश्चात् श्रम उप निरीक्षक के पद भरे जायेंगे।

श्रमायुक्त
श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमश......4

(16) महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजोन्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पर रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगे वरन् उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेगें जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है।

(17) भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगो को नियमानुसार आरक्षण प्रदाय होगा।

(18) उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(19) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0(सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।

(20) **व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।**

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

श्रमायुक्त
श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार